

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2111 / 11-सी-FP/UP/Road/119900/2021, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 22, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अंतर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी० ०.०० से १९.२० तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल ११.७९ हे० आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ११२ वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-८बी/यू०पी०/०६/३१६/२०२२/एफ०सी०/१०९, दिनांक ०४.०५.२०२३ एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक-२७००/मी०क्ष०/३३, दिनांक ०९.०१.२०२४

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक-२७००/मी०क्ष०/३३, दिनांक ०९.०१.२०२४ द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है तथा बिन्दुवार अनुपालन आख्या दिनांक २२.०२.२०२४ को ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में ऑनलाइन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 2111 / 11-सी-FP/UP/Road/119900/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस० खण्ड लोक निर्माण विभाग, राबर्ट्सगंज सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 2700 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, जनवरी, 09- 2024

सेवा में,

Ad-50

विषय :-

CCF/Nodal

8A0
12/01/24

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
 उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 11.79 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू0पी0/06/316/2022/एफ0सी0/109 दिनांक 04.05.2023

2-आपका पत्रांक-3519/11-सी- FP/UP/Road/119900/2021 दिनांक 08.05.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक- 04.05.2023 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 1107/सोनभद्र/33 दिनांक 04.01.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा मय अभिलेखो सहित 04 प्रतियों में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:-

क्र0 सं0	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच0 अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या-बी/यू0पी0/06/316/2022/एफ0सी0/109 दिनांक-04.05.2023 में अधिरोपित शर्तों का विवरण।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1-	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-01)
2-	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 11.79 ha. non forest land Khasara no. 1314kh, 1310kh, 1309k, 1313, 1308g, 1307, 1305, 1306, 8k, 10kh, 45gh in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे0 के सापेक्ष समतुल्य गैर वन भूमि 11.79 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा करा दिया गया है, जिसका उपयोग कर मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
3-	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over by the user agency.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है तथा उक्त भूमि विभाग के कब्जे में होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
4-	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 11.79 हे0 के सापेक्ष ग्राम बैजनाथ में 11.79 हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग उ0प्र0 सरकार सोनभद्र वन प्रभाग के नाम अमलदरामद काया जा चुका है। इस कार्यालय द्वारा प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के विज्ञापन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। खतौनी की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)

5-	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे० गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्क वनीकरण एवं बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्डिकेटर की अंकित निर्धारित धनराशि रु० 3257719.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)
6-	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 11.79 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रु० 11292226.00/- दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
7-	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया जाता है कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
8-	The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
9-	User agency shall restrict the felling of trees to 112 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 112 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि रु० 57456.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है, डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-7)
10-	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
11-	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
12-	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में रोड साइड पटरी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि रु० 18055900.00/- दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-10)
13-	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने सम्बन्धी प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
14-	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध करायेगी, प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)

15-	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध करा दी गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
16-	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)
17-	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
18-	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाउ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19-	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
20-	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
21-	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
22-	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
23-	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
24-	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की कै0एम0एल0, सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25-	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
26-	Violation of any of these conditions will amount to viloation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दुओं की समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-20)

R

27-	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु बाध्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)
28-	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।
29-	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या—2700/अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र को उनके कार्यालय पत्रांक—1107/सोनभद्र/33 दिनांक 04.01.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी सोनभद्र वन प्रभाग राबर्टसगंज सोनभद्र।

पत्रांक : 1167 / सोनभद्र / 33

दिनांक : 4/01/ 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

मीरजपुर क्षेत्र,

मीरजापुर।

विषय :-

जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 11.79 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

(1) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्र संख्या - 8बी/यू0पी0/06/316/2022/एफ0सी0/109 दिनांक 04.05.2023

(2) इस कार्यालय का पत्रांक- 178/सोनभद्र/33 दिनांक, राबर्टसगंज, अगस्त, 04, 2023।

(3) कार्यालय अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक-1092/67153 दिनांक-08.11.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभावित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक अनुमति में वर्णित शर्तों के बिन्दुवार अनुपालन हेतु निम्नानुसार मय संलग्नक 04-04 प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

S.NO.	CONDITIONS	REPLY/ENCLOSERS
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 11.79 ha. non forest land Khasara no. 1314kh, 1310kh, 1309k, 1313, 1308g, 1307, 1305, 1306, 8k, 10kh, 45gh in Village Baijnath District Sonbhadra at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे0 के सापेक्ष समतुल्य गैर वन भूमि 11.79 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धनराशि जमा करा दिया गया है, जिसका उपयोग कर मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों का वृक्षारोपण किया जायेगा।
3	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project in handed over by the user agency.	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है तथा उक्त भूमि विभाग के कब्जे में होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-2)
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and muted in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non forest land under section 4 or section 29 of the indian forest Act, 1927 or under the relevant section of the state forest act as the case may be will be submitted by the State Government at the time of submission of compliance AIP	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 11.79 हे0 के सापेक्ष ग्राम बैजनाथ में 11.79 हे0 गैर वन भूमि को वन विभाग उ0प्र0 सरकार सोनभद्र वन प्रभाग के नाम अमलदरामद काया जा चुका है। इस कार्यालय द्वारा प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के विज्ञापन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने की कार्यवाही की जा रही है। खतौनी की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-3)
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rate as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, Demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे0 गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण एवं बाउण्ड्री पिलर स्थापना हेतु सर्वे एवं इण्डीकेटर की अंकित निर्धारित धनराशि रु0 3257719.00 परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई चालान के माध्यम से दिनांक 09.08.2023 को उत्तर प्रदेश कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा करा दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-4)

6	The State Government shall charge the net present Value (NPV) for the 11.79 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30-10-2022, 01-08-2003, 28-03-2008, 24-04-2008 and 09-05-2008 in I.A. No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-Fc(pt. II) dated 18-09-2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03-10-2006 and 5-3/2007-FC dated 05-02-2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by user Agency in this regard.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित वन भूमि 11.79 हे० वन भूमि का एन०पी०वी० की धनराशि रू० 11292226.00/- दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-5)
7	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the expert Committee, shall be charged by the State Government from the user Agency. The User Agency Shall furnish an undertaking the effect.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह वचन दिया जाता है कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि कोई बढ़ोतरी होती है तो उसे जमा किया जायेगा। प्रस्ताव में प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-6)
8	The non forest land provided for CA shall be demarcated with boundary pillars.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शत प्रतिशत अनुपालन किया जायेगा।
9	User agency shall restrict the felling of trees to 112 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and by the Cost of felling of tress shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभावित 112 पौधों/वृक्षों गणना, छपान/पातन हेतु धनराशि रू० 57456.00 का बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र को उपलब्ध करा दिया गया है, डी०डी० की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-7)
10	The Complete Compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prscribed certificate from the concerned District Collector.	इस बिन्दु के अनुपालन में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा जारी वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-8)
11	No violation of FCA Certificate from Concerned DFO Shall be Provided.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-9)
12	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/s State of Rajasthan and others dated 16-11-2015	इस बिन्दु के अनुपालन में रोड साइड पटरी पर वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू० 18055900.00/- दिनांक 09.08.2023 को कैम्पा फण्ड में ई पोर्टल से ई-चालान के माध्यम से UTTAR PRADESH CAMPA, IFSC - UBIN0996335, A/C No. 1509061119900041 में जमा कर दिया गया है, जिसकी सत्यापित छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-10)
13	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने सम्बन्धी प्रयोक्ता अभिकरण का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-11)
14	The user agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/Forest area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/REC.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध करायेगी, प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-12)
15	User agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध करा दी गयी है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-13)
16	The layout plan of the proposal shall not be change without prior approval of Central Government.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-14)

17	No labour camp shall be established on the forest land.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न है। (संलग्नक-15)
18	Sufficient firewood preferably the alternate fuel shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the state forest department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग या वन विकास निगम या वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से खरीदने के बाद श्रमिक को पर्याप्त जलाउ लकड़ी उपलब्ध करायी जायेगी।
19	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost as per the directions of the concerned Divisional Forest officer.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-16)
20	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-17)
21	The period of diversion this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life whichever is less.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि या परियोजना जीवन जो भी कम हो, के साथ सहटर्निमस होगी।
22	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	इस बिन्दु के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-18)
23	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. Department or person without prior approval of Govt. of india.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-19)
24	The KML file of the area to be diverted, the CA areas the proposed SMC work, the proposed catchment area treatment area and the WLMP area shall be uploaded on e-green watch portal with all requisite details before commencement of works.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित क्षेत्र की कै0एम0एल0, सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को कार्य प्रारम्भ होने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
25	Any order of Temporary work permission in linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Office and this office order of temporary work permission have to be uploaded on PARIVESH portal as well Nodal Officer will Strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पेड़ काटने व कार्य शुरू करने के लिए अस्थायी कार्य अनुमति दिये जाने की सूचना प्रभाग द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ तथा भारत सरकार को देते हुए उसे परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
26	Violation of any of these conditions will amount to vilation of forest (conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF & CC Guideline F.No. 11-42/2017-FC Dt. 29-01-2018.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त बिन्दुओं की समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-20)
27	Any other condition that ministry of Environment forest & Climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation. Protection and development of forest & wildlife.	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु बाध्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-21)

28	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा होने योग्य समस्त धनराशि परिवेश पोर्टल से उत्पन्न ई-चालन के माध्यम से उ०प्र० कैम्पा से जमा कराने की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दी गयी है।
29	The compliance report on e-portal (https://parivesh.nic.in)	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

वसुधैव कुटुम्बकम्

सु० व० सं० ०५/०२४

संख्या अ/समदिनांक।

भवदीय

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
सोनभद्र वन प्रभाग, सोनभद्र

प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - लेखा शाखा प्रभारी सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयक परियोजना अन्तर्ग ग्राम-बैजनाथ में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.
CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;
 : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
 : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer. : This icon shows that the challan has been generated.
 : This icon shows that the payment yet to be made. : This icon shows that the payment has been made.

☒ Proposals received on or after 15th July 2014 ☐ All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region :
Lucknow

Select State :
Uttar Pradesh

Select User Agency :
Select

Online Help/Query

Payment Status :
☒ Paid ☐ Unpaid ☐ All

Bank Name :
--Select All--

Mode of Payment :
--Select All--

Transaction Date (From) :

Transaction Date (To) :

Enter value for Search :
119900

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/ROAD/119900/2021 (../Viewreport.aspx?pid=FP/UP/ROAD/119900/2021) Proposed Road Widening and Strengthening of Saursoth Khurd to Sirsiya Road from Km.0.00 to 19.200 Under Rural Road Connectivity Project on Left Wing Extermism Area(CPCPLWEA) in Tehsil:Robertsganj,Dist:Sonbhadra	ROAD1199002021041	04 May 2023	CA: 3084444/- ,Addl CA : 18055900/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 11292226/- Establishment of Boundary 173275/- Pillar : Total : 32605845/-		Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 07 Aug 2023 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Aug 2023 Transaction Date : 09 Aug 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/070820231426088043_FPUPROAD1199002021_User_Fund_Demanded_46149.px) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD1199002021041)

[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mygov.in/)

[Power To Empower \(HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN\)](http://www.digitalindia.gov.in)

[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)

[\(HTTPS://INDIA.GOV.IN/\)](https://india.gov.in/)

[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)

[\(HTTP://MEITY.GOV.IN/\)](http://meity.gov.in/)

[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)

[\(HTTP://WWW.NIC.IN/\)](http://www.nic.in/)



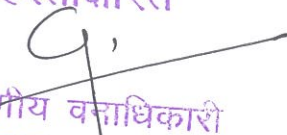
वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं०-०.००० से १९.२०० तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि का वैधानिक रूप किसी भी परिस्थिति में बदले नहीं जाने" हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


 Executive Engineer
 P.M.G.S.Y Division P.W.D.
 Sonbhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


 प्रभागीय वन अधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

प्रमाण पत्र

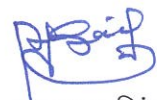
जनपद सोनभद्र में पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल०डब्लू०ई०) के अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी० ०.००० से १९.२०० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रभावित ११.७९० हे० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष पटना रेंज अन्तर्गत ग्राम बैजनाथ में गाटा संख्या १३१३, क्षेत्र-०.८१ हे०, गाटा संख्या १३१४ख, क्षेत्र-१.३१ हे०, गाटा संख्या १३१०ख क्षेत्र-३.८० हे०, गाटा संख्या १३०९क, क्षेत्र-०.४९१ हे०, गाटा संख्या १३०८ग, क्षेत्र-०.१८५ हे०, गाटा संख्या १३०७ क्षेत्र-०.१४० हे०, गाटा संख्या १३०६, क्षेत्र-०.५१० हे०, गाटा संख्या १३०५, क्षेत्र-०.५३० हे०, गाटा संख्या ८क, क्षेत्र-१.१२५ हे०, गाटा संख्या १०ख, क्षेत्र-०.९१ हे० एवं गाटा संख्या ४५घ, क्षेत्र-१.९७९० हे० कुल ११.७९० हे० गैर वन भूमि को आज दिनांक ०४.११.२०२३ को श्री अजय कुमार चौधरी, क्षेत्रीय लेखपाल, श्री नन्दन कुमार, सहायक अभियन्ता एवं श्री मुन्ना लाल सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी की उपस्थिति में वन विभाग को कब्जा/हस्तगत करा दिया गया है। वन भूमि निर्विवाद एवं अधिभार मुक्त है एवं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त गैर वन भूमि वन विभाग के कब्जे है।



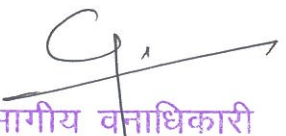
(अजय कुमार चौधरी)
क्षेत्रीय लेखपाल
बैजनाथ, सोनभद्र।



(नन्दन कुमार)
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,
लो०नि०वि०, सोनभद्र।



(मुन्ना लाल सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
पटना रेंज, सोनभद्र।


प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2139722023121

ग्राम क्रमांक : 213972 ग्राम का नाम (परगना) : बैजनाथ(विजयगढ़) तहसील : रावर्टसांज जनपद : सोनभद्र फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00170

श्रेणी : 5-3-ड / अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जौत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (प्लोीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
718ग	बन्जर / नि. ग्राम			718ग(2139720718200557)	6.0000			0.00
कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- छ. दशमलव शून्य शून्य शून्य (हेटेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रूपये								
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया		दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटीकृत याद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / प्लोीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा धैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / प्लोीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)		
क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनभद्र 1) अन्य /984/22-09-2023/उपनिर्णय/ANIL KUMAR SRIVASTAV /03-11-2023								
1) आदेश का निस्तीकरण : उपरोक्त आदेश शासनादेश सं०258(1) 16-73-न-1 में अंकित गाटा सं० 719ग/5.7773हे० के स्थान पर गाटा सं० 718ग/5.7773हे० व गाटा सं० 45ख/1.9790 के स्थान पर गाटा सं० 45ख/1.9790हे० अंकित शेकर अभिलेख ड्रफ्ट हो। ह०र०का०30-09-2023/03-11-2023 (डिजिटल हस्ताक्षर : ANIL KUMAR SRIVASTAV/08-11-2023) (17)भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व याद/घातों की कम्प्यूटीकृत संख्या : Abh प्रभुभागीय वनाधिकारी								

(18.) बंधक हान की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्तिः :

[illegible]

दिनांक/समय/स्थान: 21-12-2023 02:54:31 तहसील : रावर्टसगंज

यह उद्घाटन खगौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल रसाक्षर द्वारा रसाक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : MANOJ KUMAR SINGH तहसील : राबर्टसागर

मुद्रित दिनांक एवं समय: 21-12-2023 02:54:31

❶ Not Applicable For Online Prints ❷ उपरोक्त दर्ज़ा ख़ातौनी का वेबसाइट <https://upbhulekh.gov.in> पर आकर अपना QR Code Scan करके निमा आ सकाता है।



NATIONAL
INFORMATICS
CENTRE

Albin

क्षेत्रीय वन अधिकारी

Page No. _____

श्रीगणेशाय नमः

प्रभाषीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र



AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61119900041
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/316/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	32605845/-

Amount in Words :Three Crore Twenty-Six Lakh Five Thousand Eight Hundred and Forty-Five Rupees Only

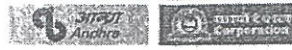
NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061119900041 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 07-08-2023

Agency Name.	PMGSY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT SONEBHADRA
Application No.	61119900041
MoEF/SG File No.	8B/UP/06/316/2022/FC
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Office of The Executive Engineer, PMGSY Div., P.W.D. Sonebhadra. (First Floor of Executive Engineer, Nirman Khand, P.W.D. Sonebhadra.) Sonebhadra
Amount(in Rs)	32605845/-

Amount in Words :Three Crore Twenty-Six Lakh Five Thousand Eight Hundred and Forty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509061119900041 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR- SBIN 323221 206543

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

Prashant Yadav
Executive Engineer
PMGSY Division
P.W.D.-Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra



09 AUG 2023

Counter foil



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

Branch Robertsganj
Date 09 AUG 2013

Received ₹ 32605845/-
From EE PMGSY PWD Sonbhadra

For remittance of NEFT/RTGS by way of
(i) Transfer (only NEFT), (ii) Cash (only
NEFT), (iii) Cheque (NEFT/RTGS) using
cheque No. 562050 dt 08.8.23
favouring CAMPA FUND
Uttar Pradesh

A/c No. 1509061119900041
IFSC Code UBIN0996335

Beneficiary Bank & Branch Union Bank
of India, Bengaluru

Amount ₹ 32605845.00

Bank's Charges ₹ NIL

Total ₹ 32605845.00

(Rupees Three Crore twenty Six Lakhs
thousand Eight hundred forty five)

For office Use,

UTR No.

Branch Manager

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonbhadra

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

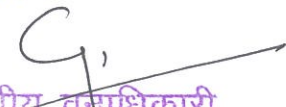
प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु मांग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
पाँचवीं रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

रतलनक - 7

जारी करने वाला भारतीय स्टेट बैंक Issuing Branch: State Bank of India कोड नं./CODE No: 00170 Tel No: 7839883509		बैंकर्स चेक BANKERS CHEQUE		Key: PUJLEY Sr. No: 245923	0 9 0 8 2 0 2 3 D D M M Y Y Y Y
PAY PRABHAGIYA VANADHIKARI VAN PRA BHAG SONBHADRA *****				को या उनके आदेश पर	
रुपये RUPEES Fifty Seven Thousand Four Hundred and Fifty Six Only				OR ORDER	
IOI 000551269599 Name of Applicant:		Key: PUJLEY Sr. No: 245923 U.P. GRAMINE SARAK VIKAS ABHIKAR		अदा करें ₹ 57456.00 कुते भारतीय स्टेट बैंक For STATE BANK OF INDIA	
कम्प्यूटर द्वारा मॉडित होने पर ही वैध VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED		केवल 3 महीने के लिए वैध VALID FOR 3 MONTHS ONLY		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता AUTHORIZED SIGNATORY	
अहस्तांतरणीय : NOT TRANSFERABLE		अहस्तांतरणीय : NOT TRANSFERABLE		शाखा प्रबंधक BRANCH MANAGER	
₹ 1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा अहस्ताक्षरित होने पर ही वैध है। INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS					

⑈ 269599⑈ 000002000⑈ 000551⑈ 16

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र

Executive Engineer
 P.M.G.S.Y Division P.W.D.
 Sonebhadra

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector, Sonebhadra (U.P.)

No.: 1048/67153

Dated: 28/10/2023

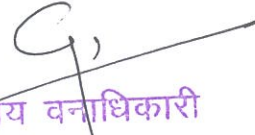
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF & CC), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 03 August 2009, letter No. 11-9/1998-FC (pt) dated 28 October 2014 & State Government Order No. 2083/14-2-2016 Dated 14 September 2016. It is certified that an area of 11.7900 Hectare reserve forest land is proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y. Division, P.W.D., Sonebhadra for diversion of Package No. UP67153 of Road "Suarshot Khurd to Shirsiya Road" in Sonebhadra district falls within jurisdiction in Robertsganj Tehsil.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities and the „Forest Land“ proposed to be diverted is a plantation which was notified as „Forest“ less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in villages having no recorded population of Schedule Tribes and Others Traditional Forest Dwellers as per the census of 2001 and 2011.


DISTRICT COLLECTOR
SONEBHADRA

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

प्रमाण पत्र

जनपद-सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग
सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्ल्यू0ई0) के
अन्तर्गत सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग किमी0 0.000 से 19.200 तक के चौड़ीकरण एवं
सुदृढीकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।



(नवीन राय)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
रामगढ/मांची।



(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र।

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनेज लगाये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
पाँचौं रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रमाणित वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

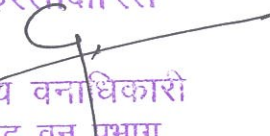
प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "CW/LW/NBWL/FAC/REC की सिफारिसों के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्रों में उपयुक्त अण्डर/ओवरपास उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
मौंटी रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

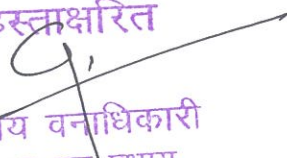
वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं०-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "पर्यावरण संरक्षक अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार (यदि लागू हो तो) पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने हेतु" पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मोती रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

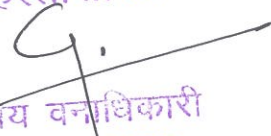
वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "केन्द्र सरकार की पूर्ण अनुमोदन के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदले जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
साँची रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division F.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मौदी रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि की सीमा का उपयुक्त सीमांकन में होने वाले व्यय को किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
गोन्दी रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र

Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

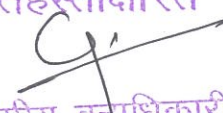
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "परियोजना कार्य के सम्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई नवीन पथ का निर्माण नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
साँची रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग परियोजना प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
मौदी रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रमाणित वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के अन्तर्गत "वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य अभिकरण या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की पूर्व अनुमति के हस्तानान्तरण नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मौदी रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वन अधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

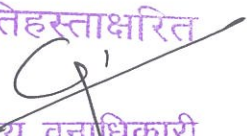
प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्टसगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "समस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किये जाने हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
साँची रेंज
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

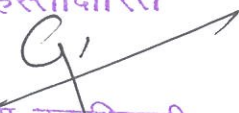
प्रमाणित किया जाता है पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग द्वारा सुअरसोत खुर्द से सिरसिया मार्ग, के चैनेज नं0-0.000 से 19.200 तक तहसील-राबर्ट्सगंज, जिला-सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत "भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन और वन्य जीव संरक्षण और विकास के लिए समयानुसार जारी दिशा निर्देश का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन हेतु" पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग पूर्ण रूप से वचनबद्ध है।



क्षेत्रीय वन अधिकारी
पी.एम.जी.एस.वाई.
सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र


Executive Engineer
P.M.G.S.Y Division P.W.D.
Sonebhadra

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र